प्रेस नोट
दिनांक 03.01.2025, थाना को0 नगर
जनपद गोण्डा।

थाना को0नगर पुलिस द्वारा एटीएम लगवाने के नाम पर जालसाजी करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में गठित थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0-269/24, धारा 420, 467, 468, 471, 406 भादवि थाना कोतवाली नगर से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त विपिन सिंह पुत्र जैन ब्रह्मा सिंह निवासी जानकी नगर कालोनी निकट मार्डन मैरेज लान थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा को बस स्टैण्ड गोण्डा से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी श्री विशाल मित्तल पुत्र राम औतार मित्तल निवासी 504 आवास विकास कालोनी थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा ने थाना को0 नगर पर सूचना दिया उडान पेमेंट सर्विस लिमिटेल कम्पनी के डायरेक्टर आदि 07 लोगो द्वारा जालसाज, बेइमानी, छलकपट व धोखाधड़ी करके ATM व AEPS(आधार इनेबल पेमेन्ट सर्विस) लगवाने के नाम पर 15 लाख रूपये फ्राड़ कर लिए है। इसी प्रकार उक्त कम्पनी द्वारा 24 लोगो से और सम्पर्क करके रू0 65,64,400/- का फ्राड़ किया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना को0नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था । पूर्व मे 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेला भेजा जा चुका है। आज दिनांक 03.01.2025 को थाना को0नगर पुलिस द्वारा अभियुक्त विपिन सिंह पुत्र जैन ब्रह्मा सिंह निवासी जानकी नगर कालोनी निकट मार्डन मैरेज लान थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा को बस स्टैण्ड गोण्डा से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. विपिन सिंह पुत्र जैन ब्रह्मा सिंह निवासी जानकी नगर कालोनी निकट मार्डन मैरेज लान थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-269/24, धारा 420, 467, 468, 471, 406 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा ।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. व0उ0नि0 ब्रह्मानन्द सिंह
02. का0 पंकज सिंह
03. का0 बृजेश कुमार पटेल
03. का0 अजीत यादव

मीडिया सेल, गोण्डा